प्र.पी.-285, प्र.पी.-285 ए से प्र.पी.-285 एल एवं प्र.पी. 286 एवं प्र.पी.-287

D-422

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाद परिसर, अवंति विहार, मुख्यालय – रायपुर

क्र0/प्र0स0/2015/461

रायपुर, दिनांक : 03/06/2015

प्रति,

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण
एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो
रायपुर।

विषय :– अपराध कमांक 09/15 धारा 13(2) सहपठित धारा 13 (1) डी, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरोपीगण श्री शिवशंकर भट्ट एवं अन्य के प्रकरण मे नागरिक आपूर्ति निगम के आरोपीगण के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश से संबंधित।

प्रकण कमांक/अमनि/अपराध/09/2015 रायपुर, मई 2015

––00––

30.05.2015 को निगम संचालक मण्डल के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम मे छ0ग0 स्टेट सिविल सप्ला0 कार्पो0 के निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही करने हेतु स्वीकृति दी जाती है। निर्धारित प्रारूप मे पृथक–पृथक अभियोजन स्वीकृति के आदेश संलग्न कर आगामी कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित की जा रही है।

1. श्री शिवशंकर भट्ट
2. श्री संदीप अग्रवाल
3. श्री सुधीर कुमार भोले
4. श्री टीकम दास हरचंदानी
5. श्री कौशल किशोर यदु
6. श्री रविन्द्र नाथ सिंह
7. श्री अशोक कुमार सोनी
8. श्री मोतीलाल साहू
9. श्री जे.पी. द्विवेदी
10. श्री सतीश कैवर्त्य
11. श्री क्षीरसागर पटेल
12. श्री धनेश्वर राम

SP ACB for necc. action

संलग्न : उपरोक्तानुसार (12)

(ब्रजेश चन्द्र मिश्र)
प्रबंध संचालक

आवक क्र. 514 दिनांक 3-6-15

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति

// आदेश //

कमांक/ 462

दिनांक 03.06.15

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एन्टी करप्शन ब्यूरो एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के पत्र कमांक/अमनि/अपराध/09/2015/रायपुर, मई,2015 के माध्यम से उनके थाने के अपराध कमांक 09/2015, धारा 109, 120 बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988, विरूद्व– शिवशंकर भटट, प्रबन्धक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर एवं अन्य के प्रकरण में आरोपी श्री **शिवशंकर भटट, प्रबंधक (निलंबित)** के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदाय करने हेतु प्रस्ताव **अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा पदेन अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन** लिमिटेड, के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

(1) **आरोपी श्री शिवशंकर भटट** के सबंध में यह अभिकथित किया गया है कि उन्होने अपराध कमांक 09/2015 के प्रकरण में छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान चांवल उपार्जन/परिवहन, नमक क्रय/परिवहन एवं अन्य कार्यो में संगठित भ्रष्टाचार करोड़ों रूपयों की अवैध राशि बिना किसी प्रतिफल के तथा पद का दुरूपयोग करते हुए प्राप्त की है। साथ ही छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की धनराशि के संबंध में आपराधिक न्यास भंग भी किया गया है।

(2) प्रकरण के अनुसंधान में पाया गया है कि **शासन की** कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत गरीब हितग्राहियों के लिए खाद्यान्न संग्रहण एवं वितरण जैसे महत्वपूर्ण जनहित कार्य में आरोपी लोकसेवक द्वारा अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुए सुनियोजित एवं संगठित रूप से अपराधिक षडयंत्र कर भ्रष्टाचार के अवैध साधनों से अपने लिए एवं अन्य के लिए भारी घन संबंधी लाभ प्राप्त किया गया है, तथा शासन द्वारा आबंटित राशि का बेईमानी पूर्वक उपयोग कर अपराधिक न्यास भंग करते हुए कुल 5,18,65,255.00 की आर्थिक क्षति कारित कर छल किया गया। विवेचना में संकलित दस्तावेजी साक्ष्य परिस्थितिजन्य तथ्य, मौखिक साक्ष्यों से धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1) डी, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 109, 120बी, 409, 420 भादवि0 का अपराध घटित करना। श्री शिवशंकर भटट के पास उनके मुख्यालय कार्यालय स्थित कक्ष में फाईलों में छिपाकर रखी गई 1,62,97,500/– की नगद राशि एवं अवैध राशि संग्रहण से संबंधित लेखा जोखा के दस्तावेज ब्यूरो द्वारा जब्त की गई, जिसका वैध स्त्रोत उनके द्वारा नहीं बताया जा सका। तात्कालिक पूछताछ में खुलासा किया गया कि उक्त राशि नान के मैदानी कार्यालयों एवं गोदामों से अवैध रूप से वसूल की गई है। अमानक स्तर के नमक को स्वीकार करते हुए एवं अनावश्यक परिवहन कराते हुए पद का दुरूपयोग कर निगम को अनावश्यक क्षति पहुंचाई एवं नमक सप्लायर को अवैध लाभ पहुंचाया।

विवेचना के अनुसार शासन के आदेशों एवं निर्देशों के विपरीत जाकर चांवल, नमक एवं शक्कर के मूवमेंट के अनेकों आदेश जारी व अनुमोदित किए गए हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं था। ये कार्य शिवशंकर भटट के माध्यम से कराया जाता था। इन व्यवहारों में राईस मिलर्स को फायदा पहुचाने के साथ–साथ परिवहनकर्ता को भी फायदा पहुंचाया गया तथा अतिरिक्त परिवहन व्यय शासन के कोष से हुआ। इस प्रकार शासन को वित्तीय क्षति पहुंचाई गई।

(3) उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त आरोपी द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए बिना किसी प्रतिफल के अवैध धनराशि प्राप्त किया गया है। आरोपीगण का उक्त कार्य धारा–109, 120–बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

(4) और चूंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के प्रावधान अनुसार आरोपी **श्री शिवशंकर भटट** को उपर्युक्त दण्डनीय अपराध के लिए अभियोजित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, जो उन्हें सेवा से पृथक कर सके, की स्वीकृति आवश्यक है।

(5) अभियोजन स्वीकृति के संबंध में प्राप्त समस्त अभिलेखों को सक्षम प्राधिकारी (संचालक मण्डल, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, छ.ग.) के समक्ष बोर्ड की बैठक दिनांक **28/05/2015 एवं 30/05/2015** में रखा गया जिसमें उनके द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 39/05 में लिये गये निर्णय अनुसार यह पाया गया है कि उपरोक्त आरोपी को सेवा से पृथक करने में संचालक मंडल सक्षम है और चूंकि उपरोक्त आरोपी के संबंध में प्रस्तुत तथ्यों/अभिलेखों, साक्ष्य एवं जानकारियों का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद संचालक मंडल संतुष्ट है कि उक्त आरोपी **श्री शिवशंकर भटट** को न्यायालय में उपरोक्त अपराधों के लिए अभियोजन किया जावे। इस संबंध में उनके द्वारा उपरोक्त बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है एवं अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु **प्रबंध संचालक (श्री ब्रजेश चंद्र मिश्र)** को अधिकृत किया गया है।

(6) उपरोक्त अनुसार दिए गये प्राधिकार के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 (1) (सी) के अन्तर्गत मै आरोपी **श्री शिवशंकर भटट** को धारा– 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत अपराध के लिए एवं प्रभावशील अधिनियम के अन्तर्गत अन्य ऐसे अपराधों या अपराध हो जो प्रमाण से सिद्व हो, अभियोजन करने के लिए संचालक मंडल के निर्णय अनुसार स्वीकृति आदेश जारी करता हूं।

संलग्न– संचालक मंडल की बैठक दिनांक 28/05/2015 एवं
30/05/2015 की कार्यवाही पंजी की सत्यापित प्रति।

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक
मंडल के नाम से एवं संचालक मण्डल द्वारा आदेशित

(ब्रजेश चन्द्र मिश्र)
प्रबन्ध संचालक

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति

// आदेश //

कमांक/463

दिनांक 03.06.15

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एन्टी करप्शन ब्यूरो एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के पत्र कमांक/अमनि/अपराध/09/2015/रायपुर, मई,2015 के माध्यम से उनके थाने के अपराध कमांक 09/2015, धारा 109, 120 बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988, विरूद्व–शिवशंकर भटट, प्रबन्धक छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर एवं अन्य के प्रकरण में आरोपी **श्री संदीप कुमार अग्रवाल, कंपनी** सचिव **(निलंबित)** के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदाय करने हेतु प्रस्ताव अपर **मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा पदेन अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,** के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

(1) **आरोपी श्री संदीप कुमार अग्रवाल** के सबंध में यह अभिकथित किया गया है कि उन्होने अपराध कमांक 09/2015 के प्रकरण में छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान चांवल उपार्जन/परिवहन, नमक कय/परिवहन एवं अन्य कार्यो में संगठित भ्रष्टाचार करोड़ों रूपयों की अवैध राशि बिना किसी प्रतिफल के तथा पद का दुरूपयोग करते हुए प्राप्त की है। साथ ही छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की धनराशि के संबंध में आपराधिक न्यास भंग भी किया गया है।

(2) प्रकरण के अनुसंधान में पाया गया है कि **शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत गरीब हितग्राहियों के लिए खाद्यान्न संग्रहण एवं वितरण जैसे महत्वपूर्ण जनहित कार्य में आरोपी लोकसेवक द्वारा अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुए सुनियोजित एवं संगठित रूप से अपराधिक षडयंत्र कर भ्रष्टाचार के अवैध साधनों से अपने लिए एवं अन्य के लिए भारी धन संबंधी लाभ प्राप्त किया गया है, तथा शासन द्वारा आबंटित राशि का बेईमानी पूर्वक उपयोग कर अपराधिक न्यास भंग करते हुए कुल 5,18,65,255.00 की आर्थिक क्षति कारित कर छल किया गया।** विवेचना में संकलित दस्तावेजी साक्ष्य परिस्थितिजन्य तथ्य, मौखिक साक्ष्यों से धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1) डी, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 109, 120बी, 409, 420 भादवि0 का अपराध घटित करना। ब्यूरो द्वारा अनुसंधान के दौरान पाया गया कि संदीप अग्रवाल द्वारा निष्पादित कार्यो के समय संधारित विभिन्न नस्तियों/दस्तावेजों का परीक्षण करने पर एवं विभिन्न उपार्जन केन्द्रों के नियामनुसार चांवल के सेम्पल लेकर पुनः जांच करने पर उनके द्वारा मानक बताए गए सेम्पल अमानक पाये गए। अमानक स्तर के चांवल राईस मिलरों से प्राप्त करने वाले तकनिकी सहायकों के विरूद्व दंडात्मक कार्यवाही निर्धारित कर केवल चेतावनी देकर प्रकरण नस्तीबद्व कर दिया गया। अमानक चांवलों को रखकर सही गुणवत्ता के चांवलों के उपार्जन कार्य में व्यवधान डालकर अवैधानिक सुविधा प्रदान करने की

स्थिति ब्यूरो द्वारा विवेचना के दौरान पाई गई। अनुसंधान के दौरान यह भी प्रमाणित हुआ है कि जिलों के उपार्जन केन्द्रों में अमानक स्तर के चांवल के लिए उनके द्वारा सही गुणवत्ता के चांवल होने का फर्जी परीक्षण रिर्पोट दिया गया। इसके कार्यालय से 20,000/– घर से 34,99,500/– एवं लाकर से 12,00,240/– रूपये भारी मात्रा में नगद राशि ब्यूरो द्वारा जब्त की गई।

(3) उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त आरोपी द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए बिना किसी प्रतिफल के अवैध धनराशि प्राप्त किया गया है। आरोपी का उक्त कार्य धारा–109, 120–बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

(4) और चूंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के प्रावधान अनुसार आरोपी **श्री संदीप कुमार अग्रवाल** को उपर्युक्त दण्डनीय अपराध के लिए अभियोजित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, जो उन्हें सेवा से पृथक कर सके, की स्वीकृति आवश्यक है।

(5) अभियोजन स्वीकृति के संबंध में प्राप्त समस्त अभिलेखों को सक्षम प्राधिकारी (संचालक मण्डल, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, छ.ग.) के समक्ष बोर्ड की बैठक दिनांक **28/05/2015** एवं **30/05/2015** में रखा गया जिसमें उनके द्वारा प्रस्ताव क्रमांक **39/05** में लिये गये निर्णय अनुसार यह पाया गया है कि उपरोक्त आरोपी को सेवा से पृथक करने में संचालक मंडल सक्षम है और चूंकि उपरोक्त आरोपी के संबंध में प्रस्तुत तथ्यों/अभिलेखों, साक्ष्य एवं जानकारियों का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद संचालक मंडल संतुष्ट है कि उक्त आरोपी **श्री संदीप कुमार अग्रवाल** को न्यायालय में उपरोक्त अपराधों के लिए अभियोजन किया जावे। इस संबंध में उनके द्वारा उपरोक्त बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है एवं अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु प्रबंध संचालक **(श्री ब्रजेश चंद्र मिश्र)** को अधिकृत किया गया है।

(6) उपरोक्त अनुसार दिए गये प्राधिकार के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 (1) (सी) के अन्तर्गत मै, आरोपी **श्री संदीप कुमार अग्रवाल** को धारा– 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत अपराध के लिए एवं प्रभावशील अधिनियम के अन्तर्गत अन्य ऐसे अपराधों या अपराध हो जो प्रमाण से सिद्व हो, अभियोजन करने के लिए संचालक मंडल के निर्णय अनुसार स्वीकृति आदेश जारी करता हूं।

संलग्न– संचालक मंडल की बैठक दिनांक 28/05/2015 एवं
30/05/2015 की कार्यवाही पंजी की सत्यापित प्रति।

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक
मंडल के नाम से एवं संचालक मण्डल द्वारा आदेशित

(ब्रजेश चन्द्र मिश्र)
प्रबन्ध संचालक

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति

// आदेश //

क्रमांक/464

दिनांक 03.06.15

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एन्टी करप्शन ब्यूरो एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के पत्र क्रमांक/अमनि/अपराध/09/2015/रायपुर, मई,2015 के माध्यम से उनके थाने के अपराध क्रमांक 09/2015, धारा 109, 120 बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988, विरूद्व– शिवशंकर भटट, प्रबन्धक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर एवं अन्य के प्रकरण में आरोपी **श्री सुधीर कुमार भोले, सहायक लेखाधिकारी (निलंबित)** के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदाय करने हेतु प्रस्ताव **अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा पदेन अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,** के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

(1) **आरोपी श्री सुधीर कुमार भोले** के सबंध में यह अभिकथित किया गया है कि उन्होने अपराध क्रमांक 09/2015 के प्रकरण में छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान चांवल उपार्जन/परिवहन, नमक क्रय/परिवहन एवं अन्य कार्यो में संगठित भ्रष्टाचार करोड़ों रूपयों की अवैध राशि बिना किसी प्रतिफल के तथा पद का दुरूपयोग करते हुए प्राप्त की है। साथ ही छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की धनराशि के संबंध में आपराधिक न्यास भंग भी किया गया है।

(2) प्रकरण के अनुसंधान में पाया गया है कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत गरीब हितग्राहियों के लिए खाद्यान्न संग्रहण एवं वितरण जैसे महत्वपूर्ण जनहित कार्य में आरोपी लोकसेवक द्वारा अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुए सुनियोजित एवं संगठित रूप से अपराधिक षडयंत्र कर भ्रष्टाचार के अवैध साधनों से अपने लिए एवं अन्य के लिए भारी घन संबंधी लाभ प्राप्त किया गया है, तथा शासन द्वारा आबंटित राशि का बेईमानी पूर्वक उपयोग कर अपराधिक न्यास भंग करते हुए कुल 5,18,65,255.00 की आर्थिक क्षति कारित कर छल किया गया। विवेचना में संकलित दस्तावेजी साक्ष्य परिस्थितिजन्य तथ्य, मौखिक साक्ष्यों से धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1) डी, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 109, 120बी, 409, 420 भादवि0 का अपराध घटित करना। इनके द्वारा पदीय दायित्व के विरूद्व संगठित भ्रष्टाचार के आपराधिक षडयंत्र में शामिल होकर अवैध राशि की उगाही की गई है। एवं पद का दुरूपयोग किया गया है। इसके घर से रूपये 7,25,000/– (सात लाख पच्चीस हजार रूपये) नगद राशि ब्यूरो द्वारा जब्त की गई।

(3) उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त आरोपी द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए बिना किसी प्रतिफल के अवैध धनराशि प्राप्त किया गया है। आरोपी का उक्त कार्य धारा–109, 120–बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

(4) और चूंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के प्रावधान अनुसार आरोपी **श्री सुधीर कुमार भोले** को उपर्युक्त दण्डनीय अपराध के लिए अभियोजित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, जो उन्हें सेवा से पृथक कर सके, की स्वीकृति आवश्यक है।

(5) अभियोजन स्वीकृति के संबंध में प्राप्त समस्त अभिलेखों को सक्षम प्राधिकारी (संचालक मण्डल, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, छ.ग.) के समक्ष बोर्ड की बैठक दिनांक **28/05/2015 एवं 30/05/2015** में रखा गया जिसमें उनके द्वारा प्रस्ताव क्रमांक **39/05** में लिये गये निर्णय अनुसार यह पाया गया है कि उपरोक्त आरोपी को सेवा से पृथक करने में संचालक मंडल सक्षम है और चूंकि उपरोक्त सभी आरोपी के संबंध में प्रस्तुत तथ्यों/अभिलेखों, साक्ष्य एवं जानकारियों का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद संचालक मंडल संतुष्ट है कि उक्त आरोपी **श्री सुधीर कुमार भोले** को न्यायालय में उपरोक्त अपराधों के लिए अभियोजन किया जावे। इस संबंध में उनके द्वारा उपरोक्त बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है एवं अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु प्रबंध संचालक **(श्री ब्रजेश चंद्र मिश्र)** को अधिकृत किया गया है।

(6) उपरोक्त अनुसार दिए गये प्राधिकार के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 (1) (सी) के अन्तर्गत मै, आरोपी **श्री सुधीर कुमार भोले** को धारा 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत अपराध के लिए एवं प्रभावशील अधिनियम के अन्तर्गत अन्य ऐसे अपराधों या अपराध हो जो प्रमाण से सिद्व हो, अभियोजन करने के लिए संचालक मंडल के निर्णय अनुसार स्वीकृति आदेश जारी करता हूं।

संलग्न– संचालक मंडल की बैठक दिनांक 28/05/2015 एवं
30/05/2015 की कार्यवाही पंजी की सत्यापित प्रति।

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक
मंडल के नाम से एवं संचालक मण्डल द्वारा आदेशित

(ब्रजेश चन्द्र मिश्र)
प्रबन्ध संचालक

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति

// आदेश //

कमांक/465

दिनांक 03.06.15

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एन्टी करप्शन ब्यूरो एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के पत्र कमांक/अमनि/अपराध/09/2015/रायपुर, मई,2015 के माध्यम से उनके थाने के अपराध कमांक 09/2015, धारा 109, 120 बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988, विरूद्व– शिवशंकर भटट, प्रबन्धक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर एवं अन्य के प्रकरण में आरोपी **श्री टीकम दास हरचंदानी (निलंबित)** के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदाय करने हेतु प्रस्ताव **अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा पदेन अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,** के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

(1) **आरोपी श्री टीकम दास हरचंदानी** के सबंध में यह अभिकथित किया गया है कि उन्होने अपराध कमांक 09/2015 के प्रकरण में छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड निगम द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान चांवल उपार्जन/परिवहन, नमक कय/परिवहन एवं अन्य कार्यो में संगठित भ्रष्टाचार करोड़ों रूपयों की अवैध राशि बिना किसी प्रतिफल के तथा पद का दुरूपयोग करते हुए प्राप्त की है। साथ ही छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की धनराशि के संबंध में आपराधिक न्यास भंग भी किया गया है।

(2) प्रकरण के अनुसंधान में पाया गया है कि **शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत गरीब हितग्राहियों के लिए खाद्यान्न संग्रहण एवं वितरण जैसे महत्वपूर्ण जनहित कार्य में आरोपी लोकसेवक द्वारा अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुए सुनियोजित एवं संगठित रूप से अपराधिक षडयंत्र कर भ्रष्टाचार के अवैध साधनों से अपने लिए एवं अन्य के लिए भारी घन संबंधी लाभ प्राप्त किया गया है, तथा शासन द्वारा आबंटित राशि का बेईमानी पूर्वक उपयोग कर अपराधिक न्यास भंग करते हुए कुल 5,18,65,255.00 की आर्थिक क्षति कारित कर छल किया गया। विवेचना में संकलित दस्तावेजी साक्ष्य परिस्थितिजन्य तथ्य, मौखिक साक्ष्यों से धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1) डी, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 109, 120बी, 409, 420 भादवि0 का अपराध घटित करना। इनके द्वारा पदीय दायित्व के विरूद्व संगठित भ्रष्टाचार के आपराधिक षडयंत्र में शामिल होकर अमानक स्तर के चांवल का संग्रहण किया गया एवं इसके एवज में संबंधित राईस मिलर्स से निशचित राशि के रूप अवैध राशि की उगाही की गई एवं पद का दुरूपयोग किया गया है। इसके कार्यालय सं 3,40,000/– एवं घर से 50,000/– रूपये नगद राशि ब्यूरो द्वारा जब्त की गई।**

(3) उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त आरोपी द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए बिना किसी प्रतिफल के अवैध धनराशि प्राप्त किया गया है। आरोपी का उक्त कार्य धारा–109, 120–बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

(4) और चूंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के प्रावधान अनुसार आरोपी **श्री टीकम दास हरचंदानी** को उपर्युक्त दण्डनीय अपराध के लिए अभियोजित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, जो उन्हें सेवा से पृथक कर सके, की स्वीकृति आवश्यक है।

(5) अभियोजन स्वीकृति के संबंध में प्राप्त समस्त अभिलेखों को सक्षम प्राधिकारी (संचालक मण्डल, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, छ.ग.) के समक्ष बोर्ड की बैठक दिनांक **28/05/2015 एवं 30/05/2015** में रखा गया जिसमें उनके द्वारा प्रस्ताव क्रमांक **39/05** में लिये गये निर्णय अनुसार यह पाया गया है कि उपरोक्त आरोपी को सेवा से पृथक करने में संचालक मंडल सक्षम है और चूंकि उपरोक्त सभी आरोपी के संबंध में प्रस्तुत तथ्यों/अभिलेखों, साक्ष्य एवं जानकारियों का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद संचालक मंडल संतुष्ट है कि उक्त आरोपी **श्रीं टीकम दास हरचंदानी** को न्यायालय में उपरोक्त अपराधों के लिए अभियोजन किया जावे। इस संबंध में उनके द्वारा उपरोक्त बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है एवं अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु प्रबंध संचालक **(श्री ब्रजेश चंद्र मिश्र)** को अधिकृत किया गया है।

(6) उपरोक्त अनुसार दिए गये प्राधिकार के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 (1) (सी) एवं के अन्तर्गत मैं, आरोपी **श्री टीकम दास हरचंदानी** को धारा 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत अपराध के लिए एवं प्रभावशील अधिनियम के अन्तर्गत अन्य ऐसे अपराधों या अपराध हो जो प्रमाण से सिद्व हो, अभियोजन करने के लिए संचालक मंडल के निर्णय अनुसार स्वीकृति आदेश जारी करता हूं।

संलग्न– संचालक मंडल की बैठक दिनांक 28/05/2015 एवं
30/05/2015 की कार्यवाही पंजी की सत्यापित प्रति।

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक
मंडल के नाम से एवं संचालक मण्डल द्वारा आदेशित

(ब्रजेश चन्द्र मिश्र)
प्रबन्ध संचालक

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति

// आदेश //

क्रमांक/466

दिनांक 03.06.15

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एन्टी करप्शन ब्यूरो एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के पत्र क्रमांक/अमनि/अपराध/09/2015/रायपुर, मई,2015 के माध्यम से उनके थाने के अपराध क्रमांक 09/2015, धारा 109, 120 बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988, विरूद्व– शिवशंकर भटट, प्रबन्धक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर एवं अन्य के प्रकरण में आरोपी **श्री कौशल किशोर यदु (निलंबित)** के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदाय करने हेतु प्रस्ताव **अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा पदेन अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,** के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

(1) **आरोपी श्री कौशल किशोर यदु** के सबंध में यह अभिकथित किया गया है कि उन्होने अपराध क्रमांक 09/2015 के प्रकरण में छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान चांवल उपार्जन/परिवहन, नमक क्रय/परिवहन एवं अन्य कार्यो में संगठित भ्रष्टाचार करोड़ों रूपयों की अवैध राशि बिना किसी प्रतिफल के तथा पद का दुरूपयोग करते हुए प्राप्त की है। साथ ही छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की धनराशि के संबंध में आपराधिक न्यास भंग भी किया गया है।

(2) प्रकरण के अनुसंधान में पाया गया है कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत गरीब हितग्राहियों के लिए खाद्यान्न संग्रहण एवं वितरण जैसे महत्वपूर्ण जनहित कार्य में आरोपी लोकसेवक द्वारा अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुए सुनियोजित एवं संगठित रूप से अपराधिक षडयंत्र कर भ्रष्टाचार के अवैध साधनों से अपने लिए एवं अन्य के लिए भारी धन संबंधी लाभ प्राप्त किया गया है, तथा शासन द्वारा आबंटित राशि का बेईमानी पूर्वक उपयोग कर अपराधिक न्यास भंग करते हुए कुल 5,18,65,255.00 की आर्थिक क्षति कारित कर छल किया गया। विवेचना में संकलित दस्तावेजी साक्ष्य परिस्थितिजन्य तथ्य, मौखिक साक्ष्यों से धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1) डी, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 109, 120बी, 409, 420 भादवि0 का अपराध घटित करना। इनके द्वारा पदीय दायित्व के विरूद्व संगठित भ्रष्टाचार के आपराधिक षडयंत्र में शामिल होकर अमानक स्तर के चांवल का संग्रहण किया गया एवं इसके एवज में संबंधित राईस मिलर्स से निश्चित राशि के रूप अवैध राशि की उगाही की गई एवं पद का दुरूपयोग किया गया है। इनके घर से 1,63,500/– (एक लाख तिरसठ हजार पांच सौ रूपये) लाकर से 23,35,000/– (तेइस लाख पैतिस हजार रूपये) में नगद राशि ब्यूरो द्वारा जब्त की गई।

(3) उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त आरोपी द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए बिना किसी प्रतिफल के अवैध धनराशि प्राप्त किया गया है। आरोपी का उक्त कार्य धारा–109, 120–बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

(4) और चूंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के प्रावधान अनुसार आरोपी **श्री कौशल किशोर यदु** को उपर्युक्त दण्डनीय अपराध के लिए अभियोजित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, जो उन्हें सेवा से पृथक कर सके, की स्वीकृति आवश्यक है।

(5) अभियोजन स्वीकृति के संबंध में प्राप्त समस्त अभिलेखों को सक्षम प्राधिकारी (संचालक मण्डल, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, छ.ग.) के समक्ष बोर्ड की बैठक दिनांक **28/05/2015** एवं **30/05/2015** में रखा गया जिसमें उनके द्वारा प्रस्ताव क्रमांक **39/05** में लिये गये निर्णय अनुसार यह पाया गया है कि उपरोक्त आरोपी को सेवा से पृथक करने में संचालक मंडल सक्षम है और चूंकि उपरोक्त सभी आरोपीगण के संबंध में प्रस्तुत तथ्यों/अभिलेखों, साक्ष्य एवं जानकारियों का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद संचालक मंडल संतुष्ट है कि उक्त आरोपी **श्री कौशल किशोर यदु** को न्यायालय में उपरोक्त अपराधों के लिए अभियोजन किया जावे। इस संबंध में उनके द्वारा उपरोक्त बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है एवं अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु प्रबंध संचालक **(श्री ब्रजेश चंद्र मिश्र)** को अधिकृत किया गया है।

(6) उपरोक्त अनुसार दिए गये प्राधिकार के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 (1) (सी) एवं के अन्तर्गत मैं, आरोपी **श्री कौशल किशोर यदु** को धारा– 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत अपराध के लिए एवं प्रभावशील अधिनियम के अन्तर्गत अन्य ऐसे अपराधों या अपराध हो जो प्रमाण से सिद्व हो, अभियोजन करने के लिए संचालक मंडल के निर्णय अनुसार स्वीकृति आदेश जारी करता हूं।

संलग्न– संचालक मंडल की बैठक दिनांक 28/05/2015 एवं
30/05/2015 की कार्यवाही पंजी की सत्यापित प्रति।

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक
मंडल के नाम से एवं संचालक मण्डल द्वारा आदेशित

(ब्रजेश चन्द्र मिश्र)
प्रबन्ध संचालक

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति

// आदेश //

कमांक/467

दिनांक 03.06.15

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एन्टी करप्शन ब्यूरो एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के पत्र कमांक/अमनि/अपराध/09/2015/रायपुर, मई,2015 के माध्यम से उनके थाने के अपराध कमांक 09/2015, धारा 109, 120 बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988, विरूद्व– शिवशंकर भटट, प्रबन्धक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर एवं अन्य के प्रकरण में आरोपी **श्री रविन्द्र नाथ सिंह, प्रभारी जिला प्रबंधक, (निलंबित)** के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदाय करने हेतु प्रस्ताव **अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा पदेन अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,** के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

(1) **आरोपी श्री रविन्द्र नाथ सिंह,** के सबंध में यह अभिकथित किया गया है कि उन्होने अपराध कमांक 09/2015 के प्रकरण में छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान चांवल उपार्जन/परिवहन, नमक कय/परिवहन एवं अन्य कार्यो में संगठित भ्रष्टाचार करोड़ों रूपयों की अवैध राशि बिना किसी प्रतिफल के तथा पद का दुरूपयोग करते हुए प्राप्त की है। साथ ही छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की धनराशि के संबंध में आपराधिक न्यास भंग भी किया गया है।

(2) प्रकरण के अनुसंधान में पाया गया है कि **शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत गरीब हितग्राहियों के लिए खाद्यान्न संग्रहण एवं वितरण जैसे महत्वपूर्ण जनहित कार्य में आरोपी लोकसेवक द्वारा अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुए सुनियोजित एवं संगठित रूप से अपराधिक षडयंत्र कर भ्रष्टाचार के अवैध साधनों से अपने लिए एवं अन्य के लिए भारी घन संबंधी लाभ प्राप्त किया गया है, तथा शासन द्वारा आबंटित राशि का बेईमानी पूर्वक उपयोग कर अपराधिक न्यास भंग करते हुए कुल 5,18,65,255.00 की आर्थिक क्षति कारित कर छल किया गया।** विवेचना में संकलित दस्तावेजी साक्ष्य परिस्थितिजन्य तथ्य, मौखिक साक्ष्यों से धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1) डी, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 109, 120बी, 409, 420 भादवि0 का अपराध घटित करना। इनके द्वारा पदीय दायित्व के विरूद्व संगठित भ्रष्टाचार के आपराधिक षडयंत्र में शामिल होकर अमानक स्तर के चांवल का संग्रहण किया गया एवं इसके एवज में संबंधित राईस मिलर्स से निश्चित राशि के रूप अवैध राशि की उगाही की गई एव यह राशि नान मुख्यालय रायपुर के प्रबंधक पीडीएस शिवशंकर भटट के पास भेजा जाता था। इस तरह इनके द्वारा पद का दुरूपयोग किया गया है। इनके घर से 7,16,080/– (सात लाख सोलह हजार अस्सी रूपये) लाकर से 4,61,900/– (चार लाख ईकसठ हजार नौ सौ रूपये) नगद राशि ब्यूरो द्वारा जब्त की गई।

(3) उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त आरोपी द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए बिना किसी प्रतिफल के अवैध धनराशि प्राप्त किया गया है। आरोपी का उक्त कार्य धारा–109, 120–बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

(4) और चूंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के प्रावधान अनुसार आरोपी **श्री रविन्द्र नाथ सिंह,** को उपर्युक्त दण्डनीय अपराध के लिए अभियोजित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, जो उन्हें सेवा से पृथक कर सके, की स्वीकृति आवश्यक है।

(5) अभियोजन स्वीकृति के संबंध में प्राप्त समस्त अभिलेखों को सक्षम प्राधिकारी (संचालक मण्डल, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, छ.ग.) के समक्ष बोर्ड की बैठक दिनांक **28/05/2015** एवं **30/05/2015** में रखा गया जिसमें उनके द्वारा प्रस्ताव क्रमांक **39/05** में लिये गये निर्णय अनुसार यह पाया गया है कि उपरोक्त समस्त आरोपीगण को सेवा से पृथक करने में संचालक मंडल सक्षम है और चूंकि उपरोक्त आरोपी के संबंध में प्रस्तुत तथ्यों/अभिलेखों, साक्ष्य एवं जानकारियों का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद संचालक मंडल संतुष्ट है कि उक्त आरोपी **श्री रविन्द्र नाथ सिंह,** को न्यायालय में उपरोक्त अपराधों के लिए अभियोजन किया जावे। इस संबंध में उनके द्वारा उपरोक्त बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है एवं अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु प्रबंध संचालक **(श्री ब्रजेश चंद्र मिश्र)** को अधिकृत किया गया है।

(6) उपरोक्त अनुसार दिए गये प्राधिकार के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 (1) (सी) के अन्तर्गत मैं, आरोपी **श्री रविन्द्र नाथ सिंह** को धारा– 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत अपराध के लिए एवं प्रभावशील अधिनियम के अन्तर्गत अन्य ऐसे अपराधों या अपराध हो जो प्रमाण से सिद्व हो, अभियोजन करने के लिए संचालक मंडल के निर्णय अनुसार स्वीकृति आदेश जारी करता हूं।

संलग्न– संचालक मंडल की बैठक दिनांक 28/05/2015 एवं
30/05/2015 की कार्यवाही पंजी की सत्यापित प्रति।

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक
मंडल के नाम से एवं संचालक मण्डल द्वारा आदेशित

(ब्रजेश चन्द्र मिश्र)
प्रबन्ध संचालक

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति

// आदेश //

क्रमांक/468

दिनांक 03.06.15

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एन्टी करप्शन ब्यूरो एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के पत्र क्रमांक/अमनि/अपराध/09/2015/रायपुर, मई,2015 के माध्यम से उनके थाने के अपराध क्रमांक 09/2015, धारा 109, 120 बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988, विरूद्व– शिवशंकर भटट, प्रबन्धक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर एवं अन्य के प्रकरण में आरोपी **श्री अशोक कुमार सोनी, प्रभारी जिला प्रबंधक, (निलंबित)** के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदाय करने हेतु प्रस्ताव **अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा पदेन अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,** के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

(1) **आरोपी श्री अशोक कुमार सोनी,** के सबंध में यह अभिकथित किया गया है कि उन्होने अपराध क्रमांक 09/2015 के प्रकरण में नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान चांवल उपार्जन/परिवहन, नमक क्रय/परिवहन एवं अन्य कार्यो में संगठित भ्रष्टाचार करोड़ों रूपयों की अवैध राशि बिना किसी प्रतिफल के तथा पद का दुरूपयोग करते हुए प्राप्त की है। साथ ही छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की धनराशि के संबंध में आपराधिक न्यास भंग भी किया गया है।

(2) प्रकरण के अनुसंधान में पाया गया है कि **शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत गरीब हितग्राहियों के लिए खाद्यान्न संग्रहण एवं वितरण जैसे महत्वपूर्ण जनहित कार्य में आरोपी लोकसेवक द्वारा अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुए सुनियोजित एवं संगठित रूप से अपराधिक षडयंत्र कर भ्रष्टाचार के अवैध साधनों से अपने लिए एवं अन्य के लिए भारी धन संबंधी लाभ प्राप्त किया गया है, तथा शासन द्वारा आबंटित राशि का बेईमानी पूर्वक उपयोग कर अपराधिक न्यास भंग करते हुए कुल 5,18,65,255.00 की आर्थिक क्षति कारित कर छल किया गया। विवेचना में संकलित दस्तावेजी साक्ष्य परिस्थितिजन्य तथ्य, मौखिक साक्ष्यों से धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1) डी, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 109, 120बी, 409, 420 भादवि0 का अपराध घटित करना। इनके द्वारा पदीय दायित्व के विरूद्व संगठित भ्रष्टाचार के आपराधिक षडयंत्र में शामिल होकर अमानक स्तर के चांवल का संग्रहण किया गया एवं इसके एवज में संबंधित राईस मिलर्स से निश्चित राशि के रूप अवैध राशि की उगाही की गई एव यह राशि नान मुख्यालय रायपुर के प्रबंधक पीडीएस शिवशंकर भटट के पास भेजा जाता था। इस तरह इनके द्वारा पद का दुरूपयोग किया गया है।**

(3) उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त आरोपी द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए बिना किसी प्रतिफल के अवैध धनराशि प्राप्त किया गया है। आरोपी का उक्त कार्य धारा–109, 120–बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

(4) और चूंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के प्रावधान अनुसार आरोपी **श्री अशोक कुमार सोनी,** को उपर्युक्त दण्डनीय अपराध के लिए अभियोजित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, जो उन्हें सेवा से पृथक कर सके, की स्वीकृति आवश्यक है।

(5) अभियोजन स्वीकृति के संबंध में प्राप्त समस्त अभिलेखों को सक्षम प्राधिकारी (संचालक मण्डल, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर, छ.ग.) के समक्ष बोर्ड की बैठक दिनांक **28/05/2015 एवं 30/05/2015** में रखा गया जिसमें उनके द्वारा प्रस्ताव क्रमांक **39/05** में लिये गये निर्णय अनुसार यह पाया गया है कि उपरोक्त समस्त आरोपीगण को सेवा से पृथक करने में संचालक मंडल सक्षम है और चूंकि उपरोक्त आरोपी के संबंध में प्रस्तुत तथ्यों/अभिलेखों, साक्ष्य एवं जानकारियों का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद संचालक मंडल संतुष्ट है कि उक्त आरोपी **श्री अशोक कुमार सोनी,,** को न्यायालय में उपरोक्त अपराधों के लिए अभियोजन किया जावे। इस संबंध में उनके द्वारा उपरोक्त बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है एवं अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु प्रबंध संचालक **(श्री ब्रजेश चंद्र मिश्र)** को अधिकृत किया गया है।

(6) उपरोक्त अनुसार दिए गये प्राधिकार के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 (1) (सी) के अन्तर्गत मै,आरोपी **श्री अशोक कुमार सोनी** को धारा– 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत अपराध के लिए एवं प्रभावशील अधिनियम के अन्तर्गत अन्य ऐसे अपराधों या अपराध हो जो प्रमाण से सिद्व हो, अभियोजन करने के लिए संचालक मंडल के निर्णय अनुसार स्वीकृति आदेश जारी करता हूं।

संलग्न– संचालक मंडल की बैठक दिनांक 28/05/2015 एवं
30/05/2015 की कार्यवाही पंजी की सत्यापित प्रति।

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक
मंडल के नाम से एवं संचालक मण्डल द्वारा आदेशित

(ब्रजेश चन्द्र मिश्र)
प्रबन्ध संचालक

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति

// आदेश //

क्रमांक/469

दिनांक 03.06.15

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एन्टी करप्शन ब्यूरो एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के पत्र क्रमांक/अमनि/अपराध/09/2015/रायपुर, मई,2015 के माध्यम से उनके थाने के अपराध क्रमांक 09/2015, धारा 109, 120 बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988, विरूद्व– शिवशंकर भटट, प्रबन्धक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर एवं अन्य के प्रकरण में आरोपी **श्री मोतीलाल साहू, जिला प्रबंधक** के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदाय करने हेतु प्रस्ताव **अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा पदेन अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,** के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

(1) **आरोपी श्री मोतीलाल साहू,** के सबंध में यह अभिकथित किया गया है कि उन्होने अपराध क्रमांक 09/2015 के प्रकरण में छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान चांवल उपार्जन/परिवहन, नमक क्रय/परिवहन एवं अन्य कार्यो में संगठित भ्रष्टाचार करोड़ों रूपयों की अवैध राशि बिना किसी प्रतिफल के तथा पद का दुरूपयोग करते हुए प्राप्त की है। साथ ही छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की धनराशि के संबंध में आपराधिक न्यास भंग भी किया गया है।

(2) प्रकरण के अनुसंधान में पाया गया है कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत गरीब हितग्राहियों के लिए खाद्यान्न संग्रहण एवं वितरण जैसे महत्वपूर्ण जनहित कार्य में आरोपी लोकसेवक द्वारा अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुए सुनियोजित एवं संगठित रूप से अपराधिक षडयंत्र कर भ्रष्टाचार के अवैध साधनों से अपने लिए एवं अन्य के लिए भारी धन संबंधी लाभ प्राप्त किया गया है, तथा शासन द्वारा आबंटित राशि का बेईमानी पूर्वक उपयोग कर अपराधिक न्यास भंग करते हुए कुल 5,18,65,255.00 की आर्थिक क्षति कारित कर छल किया गया। विवेचना में संकलित दस्तावेजी साक्ष्य परिस्थितिजन्य तथ्य, मौखिक साक्ष्यों से धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1) डी, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 109, 120बी, 409, 420 भादवि0 का अपराध घटित करना। इनके द्वारा पदीय दायित्व के विरूद्व संगठित भ्रष्टाचार के आपराधिक षडयंत्र में शामिल होकर अमानक स्तर के चांवल का संग्रहण किया गया एवं इसके एवज में संबंधित राईस मिलर्स से निश्चित राशि के रूप अवैध राशि की उगाही की गई एव यह राशि नान मुख्यालय रायपुर के प्रबंधक पीडीएस शिवशंकर भटट के पास भेजा जाता था। विवेचना के दौरान ब्यूरो द्वारा माह दिसम्बर 2014 का हिसाब गरियाबंद जिले से अवैध वसूली की उगाही से संबंधित श्री मोतीलाल साहू की हस्तलिखित पर्ची जब्त की गई है। इस तरह इनके द्वारा पद का दुरूपयोग किया गया है।

(3) उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त आरोपी द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए बिना किसी प्रतिफल के अवैध धनराशि प्राप्त किया गया है। आरोपी का उक्त कार्य धारा–109, 120–बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

(4) और चूंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के प्रावधान अनुसार आरोपी **श्री मोतीलाल साहू,** को उपर्युक्त दण्डनीय अपराध के लिए अभियोजित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, जो उन्हें सेवा से पृथक कर सके, की स्वीकृति आवश्यक है।

(5) अभियोजन स्वीकृति के संबंध में प्राप्त समस्त अभिलेखों को सक्षम प्राधिकारी (संचालक मण्डल, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, छ.ग.) के समक्ष बोर्ड की बैठक दिनांक **28/05/2015 एवं 30/05/2015** में रखा गया जिसमें उनके द्वारा प्रस्ताव क्रमांक **39/05** में लिये गये निर्णय अनुसार यह पाया गया है कि उपरोक्त आरोपी को सेवा से पृथक करने में संचालक मंडल सक्षम है और चूंकि उपरोक्त सभी आरोपीगण के संबंध में प्रस्तुत तथ्यों/अभिलेखों, साक्ष्य एवं जानकारियों का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद संचालक मंडल संतुष्ट है कि उक्त आरोपी **श्री मोतीलाल साहू,** को न्यायालय में उपरोक्त अपराधों के लिए अभियोजन किया जावे। इस संबंध में उनके द्वारा उपरोक्त बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है एवं अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु प्रबंध संचालक **(श्री ब्रजेश चंद्र मिश्र)** को अधिकृत किया गया है।

(6) उपरोक्त अनुसार दिए गये प्राधिकार के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 (1) (सी) के अन्तर्गत मै, आरोपी **श्री मोतीलाल साहू,** को धारा– 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत अपराध के लिए एवं प्रभावशील अधिनियम के अन्तर्गत अन्य ऐसे अपराधों या अपराध हो जो प्रमाण से सिद्व हो, अभियोजन करने के लिए संचालक मंडल के निर्णय अनुसार स्वीकृति आदेश जारी करता हूं।

संलग्न– संचालक मंडल की बैठक दिनांक 28/05/2015 एवं
30/05/2015 की कार्यवाही पंजी की सत्यापित प्रति।

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक
मंडल के नाम से एवं संचालक मण्डल द्वारा आदेशित

(ब्रजेश चन्द्र मिश्र)
प्रबन्ध संचालक

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति

// आदेश //

कमांक/470 दिनांक 03.06.15

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एन्टी करप्शन ब्यूरो एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के पत्र कमांक/अमनि/अपराध/09/2015/रायपुर, मई,2015 के माध्यम से उनके थाने के अपराध कमांक 09/2015, धारा 109, 120 बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988, विरूद्व– शिवशंकर भटट, प्रबन्धक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर एवं अन्य के प्रकरण में आरोपी **श्री जे.पी. द्विवेदी, प्रभारी जिला प्रबंधक** के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदाय करने हेतु प्रस्ताव **अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा पदेन अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड** के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

(1) **आरोपी श्री जे.पी. द्विवेदी** के सबंध में यह अभिकथित किया गया है कि उन्होने अपराध कमांक 09/2015 के प्रकरण में छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान चांवल उपार्जन/परिवहन, नमक कय/परिवहन एवं अन्य कार्यो में संगठित भ्रष्टाचार करोड़ों रूपयों की अवैध राशि बिना किसी प्रतिफल के तथा पद का दुरूपयोग करते हुए प्राप्त की है। साथ ही छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की धनराशि के संबंध में आपराधिक न्यास भंग भी किया गया है।

(2) प्रकरण के अनुसंधान में पाया गया है कि **शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत गरीब हितग्राहियों के लिए खाद्यान्न संग्रहण एवं वितरण जैसे महत्वपूर्ण जनहित कार्य में आरोपी लोकसेवक द्वारा अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुए सुनियोजित एवं संगठित रूप से अपराधिक षडयंत्र कर भ्रष्टाचार के अवैध साधनों से अपने लिए एवं अन्य के लिए भारी घन संबंधी लाभ प्राप्त किया गया है, तथा शासन द्वारा आबंटित राशि का बेईमानी पूर्वक उपयोग कर अपराधिक न्यास भंग करते हुए कुल 5,18,65,255.00 की आर्थिक क्षति कारित कर छल किया गया। विवेचना में संकलित दस्तावेजी साक्ष्य परिस्थितिजन्य तथ्य, मौखिक साक्ष्यों से धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1) डी, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 109, 120बी, 409, 420 भादवि0 का अपराध घटित करना। इनके द्वारा पदीय दायित्व के विरूद्व संगठित भ्रष्टाचार के आपराधिक षडयंत्र में शामिल होकर अमानक स्तर के चांवल का संग्रहण किया गया एवं इसके एवज में संबंधित राईस मिलर्स से निश्चित राशि के रूप अवैध राशि की उगाही की गई एव यह राशि नान मुख्यालय रायपुर के प्रबंधक पीडीएस शिवशंकर भटट के पास भेजा जाता था। विवेचना के दौरान ब्यरो द्वारा माह दिसम्बर 2014 का हिसाब बलौदाबाजार जिले से अवैध वसूली की उगाही से संबंधित श्री जे.पी. द्विवेदी की हस्तलिखित पर्ची जब्त की गई है। इस तरह इनके द्वारा पद का दुरूपयोग किया गया है।**

(3) उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त आरोपी द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए बिना किसी प्रतिफल के अवैध धनराशि प्राप्त किया गया है। आरोपी का उक्त कार्य धारा–109, 120–बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

(4) और चूंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के प्रावधान अनुसार आरोपी **श्रीं जे.पी. द्विवेदी** को उपर्युक्त दण्डनीय अपराध के लिए अभियोजित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, जो उन्हें सेवा से पृथक कर सके, की स्वीकृति आवश्यक है।

(5) अभियोजन स्वीकृति के संबंध में प्राप्त समस्त अभिलेखों को सक्षम प्राधिकारी (संचालक मण्डल, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, छ.ग.) के समक्ष बोर्ड की बैठक दिनांक **28/05/2015 एवं 30/05/2015** में रखा गया जिसमें उनके द्वारा प्रस्ताव क्रमांक **39/05** में लिये गये निर्णय अनुसार यह पाया गया है कि उपरोक्त आरोपी को सेवा से पृथक करने में संचालक मंडल सक्षम है और चूंकि उपरोक्त सभी आरोपी के संबंध में प्रस्तुत तथ्यों/अभिलेखों, साक्ष्य एवं जानकारियों का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद संचालक मंडल संतुष्ट है कि उक्त आरोपी **श्री जे.पी. द्विवेदी** को न्यायालय में उपरोक्त अपराधों के लिए अभियोजन किया जावे। इस संबंध में उनके द्वारा उपरोक्त बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है एवं अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु प्रबंध संचालक **(श्री ब्रजेश चंद्र मिश्र)** को अधिकृत किया गया है।

(6) उपरोक्त अनुसार दिए गये प्राधिकार के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 (1) (सी) के अन्तर्गत मैं, आरोपी **श्री जे.पी. द्विवेदी** को धारा– 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत अपराध के लिए एवं प्रभावशील अधिनियम के अन्तर्गत अन्य ऐसे अपराधों या अपराध हो जो प्रमाण से सिद्व हो, अभियोजन करने के लिए संचालक मंडल के निर्णय अनुसार स्वीकृति आदेश जारी करता हूं।

संलग्न– संचालक मंडल की बैठक दिनांक 28/05/2015 एवं
30/05/2015 की कार्यवाही पंजी की सत्यापित प्रति।

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक
मंडल के नाम से एवं संचालक मण्डल द्वारा आदेशित

(ब्रजेश चन्द्र मिश्र)
प्रबन्ध संचालक

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति

// आदेश //

कमांक/471 दिनांक 03.06.15

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एन्टी करप्शन ब्यूरो एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के पत्र कमांक/अमनि/अपराध/09/2015/रायपुर, मई,2015 के माध्यम से उनके थाने के अपराध कमांक 09/2015, धारा 109, 120 बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988, विरूद्व– शिवशंकर भटट, प्रबन्धक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर एवं अन्य के प्रकरण में आरोपी **श्री सतीश कैवर्त्य कनिष्ठ तकनिकी सहायक (निलंबित)** के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदाय करने हेतु प्रस्ताव **अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा पदेन अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,** के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

(1) **आरोपी श्री सतीश कैवर्त्य** के सबंध में यह अभिकथित किया गया है कि उन्होने अपराध कमांक 09/2015 के प्रकरण में छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान चांवल उपार्जन/परिवहन, नमक कय/परिवहन एवं अन्य कार्यो में संगठित भ्रष्टाचार करोड़ों रूपयों की अवैध राशि बिना किसी प्रतिफल के तथा पद का दुरूपयोग करते हुए प्राप्त की है। साथ ही छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की धनराशि के संबंध में आपराधिक न्यास भंग भी किया गया है।

(2) प्रकरण के अनुसंधान में पाया गया है **शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत गरीब हितग्राहियों के लिस खाद्याान्न संग्रहण एवं वितरण जैसे महत्वपूर्ण जनहित कार्य में आरोपी लोकसेवक द्वारा अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुए सुनियोजित एवं संगठित रूप से अपराधिक षडयंत्र कर भ्रष्टाचार के अवैध साधनों से अपने लिए एवं अन्य के लिए भारी घन संबंधी लाभ प्राप्त किया गया है, तथा शासन द्वारा आबंटित राशि का बेईमानी पूर्वक उपयोग कर अपराधिक न्यास भंग करते हुए कुल 5,18,65,255.00 की आर्थिक क्षति कारित कर छल किया गया। विवेचना में संकलित दस्तावेजी साक्ष्य परिस्थितिजन्य तथ्य, मौखिक साक्ष्यों से धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1) डी, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 109, 120बी, 409, 420 भादवि0 का अपराध घटित करना। इनके द्वारा पदीय दायित्व के विरूद्व संगठित भ्रष्टाचार के आपराधिक षडयंत्र में शामिल होकर अमानक स्तर के चांवल का संग्रहण किया गया एवं इसके एवज में संबंधित राईस मिलर्स से निशचित राशि के रूप अवैध राशि की उगाही के काम में सहयोग किया। जिन राईस मिलर्स के अवैध उगाही का रकम मिलना शेष था, वह सूची अनुसंधान के दौरान इनसे प्राप्त की गई। इस तरह इनके द्वारा पद का दुरूपयोग किया गया है। ब्यूरो द्वारा इनके घर से 1,50,000/– रूपये नगद राशि जब्त की गई।**

(3) उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त आरोपी द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए बिना किसी प्रतिफल के अवैध धनराशि प्राप्त किया गया है। आरोपी का उक्त कार्य धारा–109, 120–बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

(4) और चूंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के प्रावधान अनुसार आरोपी **श्री सतीश कैवर्त्य** को उपर्युक्त दण्डनीय अपराध के लिए अभियोजित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, जो उन्हें सेवा से पृथक कर सके, की स्वीकृति आवश्यक है।

(5) अभियोजन स्वीकृति के संबंध में प्राप्त समस्त अभिलेखों को सक्षम प्राधिकारी (संचालक मण्डल, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, छ.ग.) के समक्ष बोर्ड की बैठक दिनांक **28/05/2015 एवं 30/05/2015** में रखा गया जिसमें उनके द्वारा प्रस्ताव क्रमांक **39/05** में लिये गये निर्णय अनुसार यह पाया गया है कि उपरोक्त समस्त आरोपीगण को सेवा से पृथक करने में संचालक मंडल सक्षम है और चूंकि उपरोक्त आरोपी के संबंध में प्रस्तुत तथ्यों/अभिलेखों, साक्ष्य एवं जानकारियों का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद संचालक मंडल संतुष्ट है कि उक्त आरोपी **श्री सतीश कैवर्त्य** को न्यायालय में उपरोक्त अपराधों के लिए अभियोजन किया जावे। इस संबंध में उनके द्वारा उपरोक्त बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है एवं अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु प्रबंध संचालक **(श्री ब्रजेश चंद्र मिश्र)** को अधिकृत किया गया है।

(6) उपरोक्त अनुसार दिए गये प्राधिकार के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 (1) (सी) के अन्तर्गत मैं, आरोपी **श्री सतीश कैवर्त्य** को धारा– 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत अपराध के लिए एवं प्रभावशील अधिनियम के अन्तर्गत अन्य ऐसे अपराधों या अपराध हो जो प्रमाण से सिद्व हो, अभियोजन करने के लिए संचालक मंडल के निर्णय अनुसार स्वीकृति आदेश जारी करता हूं।

संलग्न– संचालक मंडल की बैठक दिनांक 28/05/2015 एवं
30/05/2015 की कार्यवाही पंजी की सत्यापित प्रति।

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक
मंडल के नाम से एवं संचालक मण्डल द्वारा आदेशित

(ब्रजेश चन्द्र मिश्र)
प्रबन्ध संचालक

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति

// आदेश //

कमांक/472

दिनांक 03.06.15

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एन्टी करप्शन ब्यूरो एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के पत्र कमांक/अमनि/अपराध/09/2015/रायपुर, मई,2015 के माध्यम से उनके थाने के अपराध कमांक 09/2015, धारा 109, 120 बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988, विरूद्व– शिवशंकर भटट, प्रबन्धक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर एवं अन्य के प्रकरण में आरोपी **श्री क्षीरसागर पटेल, कनिष्ठ तकनिकी** सहायक **(निलंबित)** के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदाय करने हेतु प्रस्ताव अपर **मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण** विभाग **तथा पदेन अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,** के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

(1) **आरोपी श्री क्षीरसागर पटेल,** के सबंध में यह अभिकथित किया गया है कि उन्होने अपराध कमांक 09/2015 के प्रकरण में छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान चांवल उपार्जन/परिवहन, नमक कय/परिवहन एवं अन्य कार्यो में संगठित भ्रष्टाचार करोड़ों रूपयों की अवैध राशि बिना किसी प्रतिफल के तथा पद का दुरूपयोग करते हुए प्राप्त की गई है। साथ ही छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की धनराशि के संबंध में आपराधिक न्यास भंग भी किया गया है।

(2) प्रकरण के अनुसंधान में पाया गया है कि **शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत गरीब हितग्राहियों के लिए खाद्यान्न संग्रहण एवं वितरण जैसे महत्वपूर्ण जनहित कार्य में आरोपी लोकसेवक द्वारा अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुए सुनियोजित एवं संगठित रूप से अपराधिक षडयंत्र कर भ्रष्टाचार के अवैध साधनों से अपने लिए एवं अन्य के लिए भारी धन संबंधी लाभ प्राप्त किया गया है, तथा शासन द्वारा आबंटित राशि का बेईमानी पूर्वक उपयोग कर अपराधिक न्यास भंग करते हुए कुल 5,18,65,255.00 की आर्थिक क्षति कारित कर छल किया गया। विवेचना में संकलित दस्तावेजी साक्ष्य परिस्थितिजन्य तथ्य, मौखिक साक्ष्यों से धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1) डी, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 109, 120बी, 409, 420 भादवि0 का अपराध घटित करना। इनके द्वारा पदीय दायित्व के विरूद्व संगठित भ्रष्टाचार के आपराधिक षडयंत्र में शामिल होकर अमानक स्तर के चांवल का संग्रहण किया गया एवं इसके एवज में संबंधित राईस मिलर्स से निशचित राशि के रूप अवैध राशि की उगाही के काम में सहयोग किया। ब्यूरो द्वारा इनके निवास स्थान से 2,47,800/– रूपये नगद राशी जब्त की गई। इस तरह इनके द्वारा पद का दुरूपयोग किया गया है।**

(3) उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त आरोपी द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए बिना किसी प्रतिफल के अवैध धनराशि प्राप्त किया गया है। आरोपी का उक्त कार्य धारा–109, 120–बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

(4) और चूंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के प्रावधान अनुसार आरोपी **श्री क्षीरसागर पटेल,** को उपर्युक्त दण्डनीय अपराध के लिए अभियोजित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, जो उन्हें सेवा से पृथक कर सके, की स्वीकृति आवश्यक है।

(5) अभियोजन स्वीकृति के संबंध में प्राप्त समस्त अभिलेखों को सक्षम प्राधिकारी (संचालक मण्डल, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, छ.ग.) के समक्ष बोर्ड की बैठक दिनांक **28/05/2015 एवं 30/05/2015** में रखा गया जिसमें उनके द्वारा प्रस्ताव कमांक **39/05** में लिये गये निर्णय अनुसार यह पाया गया है कि उपरोक्त आरोपी को सेवा से पृथक करने में संचालक मंडल सक्षम है और चूंकि उपरोक्त सभी आरोपी के संबंध में प्रस्तुत तथ्यों/अभिलेखों, साक्ष्य एवं जानकारियों का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद संचालक मंडल संतुष्ट है कि उक्त आरोपी **श्री क्षीरसागर पटेल,** को न्यायालय में उपरोक्त अपराधों के लिए अभियोजन किया जावे। इस संबंध में उनके द्वारा उपरोक्त बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है एवं अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु प्रबंध संचालक **(श्री ब्रजेश चंद्र मिश्र)** को अधिकृत किया गया है।

(6) उपरोक्त अनुसार दिए गये प्राधिकार के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 (1) (सी) के अन्तर्गत मै, आरोपी **श्री क्षीरसागर पटेल,** को धारा– 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत अपराध के लिए एवं प्रभावशील अधिनियम के अन्तर्गत अन्य ऐसे अपराधों या अपराध हो जो प्रमाण से सिद्व हो, अभियोजन करने के लिए संचालक मंडल के निर्णय अनुसार स्वीकृति आदेश जारी करता हूं।

संलग्न– संचालक मंडल की बैठक दिनांक 28/05/2015 एवं
30/05/2015 की कार्यवाही पंजी की सत्यापित प्रति।

(छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक
मंडल के नाम से एवं संचालक मण्डल द्वारा आदेशित)

(ब्रजेश चन्द्र मिश्र)
प्रबन्ध संचालक

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के अन्तर्गत अभियोजन स्वीकृति

// आदेश //

क्रमांक/473 दिनांक 03.06.15

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एन्टी करप्शन ब्यूरो एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के पत्र क्रमांक/अमनि/अपराध/09/2015/रायपुर,मई,2015 के माध्यम से उनके थाने के अपराध क्रमांक 09/2015, धारा 109, 120 बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988, विरूद्व– शिवशंकर भटट, प्रबन्धक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर एवं अन्य के प्रकरण में आरोपी **श्री धनेश्वर राम, जिला प्रबंधक** के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदाय करने हेतु प्रस्ताव **अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा पदेन अध्यक्ष, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,** के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

(1) **आरोपी श्री धनेश्वर राम,** के सबंध में यह अभिकथित किया गया है कि उन्होने अपराध क्रमांक 09/2015 के प्रकरण में छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान चांवल उपार्जन/परिवहन, नमक क्रय/परिवहन एवं अन्य कार्यो में संगठित भ्रष्टाचार करोड़ों रूपयों की अवैध राशि बिना किसी प्रतिफल के तथा पद का दुरूपयोग करते हुए प्राप्त की है। साथ ही छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड की धनराशि के संबंध में आपराधिक न्यास भंग भी किया गया है।

(2) प्रकरण के अनुसंधान में पाया गया है कि **शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत गरीब हितग्राहियों के लिए खाद्याान्न संग्रहण एवं वितरण जैसे महत्वपूर्ण जनहित कार्य में आरोपी लोकसेवक द्वारा अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुए सुनियोजित एवं संगठित रूप से अपराधिक षडयंत्र कर भ्रष्टाचार के अवैध साधनों से अपने लिए एवं अन्य के लिए भारी घन संबंधी लाभ प्राप्त किया गया है, तथा शासन द्वारा आबंटित राशि का बेईमानी पूर्वक उपयोग कर अपराधिक न्यास भंग करते हुए कुल 5,18,65,255.00 की आर्थिक क्षति कारित कर छल किया गया।** विवेचना में संकलित दस्तावेजी साक्ष्य परिस्थितिजन्य तथ्य, मौखिक साक्ष्यों से धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1) डी, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 109, 120बी, 409, 420 भादवि0 का अपराध घटित करना। इनके द्वारा पदीय दायित्व के विरूद्व संगठित भ्रष्टाचार के आपराधिक षडयंत्र में शामिल होकर अमानक स्तर के चांवल का संग्रहण किया गया एवं इसके एवज में संबंधित राईस मिलर्स से निशचित राशि के रूप अवैध राशि की उगाही की गई एव यह राशि नान मुख्यालय रायपुर के प्रबंधक पीडीएस शिवशंकर भटट के पास भेजा जाता था। इस तरह इनके द्वारा पद का दुरूपयोग किया गया है। विवेचना के दौरान इनके हस्तलिखित पर्ची ब्यूरो को प्राप्त हुआ है जिसमें अवैध वसूली की उगाही का ब्यौरा है।

(3) उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त आरोपी द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुए बिना किसी प्रतिफल के अवैध धनराशि प्राप्त किया गया है। आरोपी का उक्त कार्य धारा–109, 120–बी, 420, 409 भादवि0 एवं 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

(4) और चूंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19(1) (सी) के प्रावधान अनुसार आरोपी **श्री श्री धनेश्वर राम,** को उपर्युक्त दण्डनीय अपराध के लिए अभियोजित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, जो उन्हें सेवा से पृथक कर सके, की स्वीकृति आवश्यक है।

(5) अभियोजन स्वीकृति के संबंध में प्राप्त समस्त अभिलेखों को सक्षम प्राधिकारी (संचालक मण्डल, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, छ.ग.) के समक्ष बोर्ड की बैठक दिनांक **28/05/2015 एवं 30/05/2015** में रखा गया जिसमें उनके द्वारा प्रस्ताव क्रमांक **39/05** में लिये गये निर्णय अनुसार यह पाया गया है कि उपरोक्त आरोपी को सेवा से पृथक करने में संचालक मंडल सक्षम है और चूंकि उपरोक्त सभी आरोपी के संबंध में प्रस्तुत तथ्यों/अभिलेखों, साक्ष्य एवं जानकारियों का सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद संचालक मंडल संतुष्ट है कि उक्त आरोपी **श्री धनेश्वर राम,** को न्यायालय में उपरोक्त अपराधों के लिए अभियोजन किया जावे। इस संबंध में उनके द्वारा उपरोक्त बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है एवं अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु प्रबंध संचालक **(श्री ब्रजेश चंद्र मिश्र)** को अधिकृत किया गया है।

(6) उपरोक्त अनुसार दिए गये प्राधिकार के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 (1) (सी) के अन्तर्गत मै, आरोपी **श्री धनेश्वर राम,** को धारा– 11, 13 (1) डी, 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अन्तर्गत अपराध के लिए एवं प्रभावशील अधिनियम के अन्तर्गत अन्य ऐसे अपराधों या अपराध हो जो प्रमाण से सिद्व हो, अभियोजन करने के लिए संचालक मंडल के निर्णय अनुसार स्वीकृति आदेश जारी करता हूं।

संलग्न– संचालक मंडल की बैठक दिनांक 28/05/2015 एवं
30/05/2015 की कार्यवाही पंजी की सत्यापित प्रति।

(छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक
मंडल के नाम से एवं संचालक मण्डल द्वारा आदेशित)

(ब्रजेश चन्द्र मिश्र)
प्रबन्ध संचालक

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,

हितवाद परिसर, अवंति विहार, तेलीबांधा, मुख्यालय–रायपुर
दूरभाष क्रमांक 0771–4066212

निगम के संचालक मण्डल की 39 वीं बैठक दिनांक 28.05.2015 का कार्यवाही विवरण।

निगम के संचालक मण्डल की 39 वीं बैठक दिनांक 28/05/2015 को प्रातः 11.00 बजे निगम मुख्यालय, हितवाद प्रेस परिसर, अवंति विहार, रायपुर में आयोजित हुई, जिसमें निम्नानुसार सदस्य उपस्थित रहे–

1) **श्री अजय सिंह, अपर मुख्य सचिव,** छ.ग. शासन खाद्य विभाग सह अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर ।

2) **श्री पी0सी0 पाण्डेय, सचिव,** कृषि एवं सहकारिता विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय नया रायपुर।

3) **श्री ब्रजेश चंद्र मिश्र, प्रबंध संचालक,** छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय– रायपुर ।

निगम के मेमोरण्डम आफ़ आर्टिकल्स की कंडिका 88 के अनुसार संचालक मण्डल की बैठक में कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति कोरम हेतु आवश्यक है। उपरोक्तानुसार सदस्यों के बैठक में उपस्थित रहने से कोरम पूर्ण हुआ एवं बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई–

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई एवं निर्णय लिये गये :–

एजेण्डा क्रमांक 39/01

संचालक मण्डल की 38 वीं बैठक दिनांक 24.03.2015 की कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

सर्व–सम्मति से पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा क्रमांक 39/02

संचालक मण्डल के 38 वीं बैठक का पालन प्रतिवेदन

संचालक मंडल की 38 वीं बैठक में निगम के 37 वीं बैठक की एजेण्डा क्रमांक 37–11, 37–18 एवं 37–19 पर निगम द्वारा अभी तक की गई कार्यवाही की जानकारी से संचालक मण्डल अवगत हुआ।

एजेण्डा क्रमांक 39/03

निगम मुख्यालय हेतु नया रायपुर में एनआरडीए में निर्मित कंपोजिट बिल्डिंग में स्थान आरक्षण का अनुमोदन एवं पूरक बजट में प्रस्ताव–

संचालक मण्डल में चर्चा उपरांत सर्व–सम्मति से कंपोजिट बिल्डिंग में स्थान आरक्षण के लिए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से दिए गए आवेदन की कार्योत्तर अनुमति दी गई और बजट में 2.09 करोड़ रूपये अतिरिक्त प्रावधान के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्रमांक 39/04

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत नमक वितरण हेतु नमक आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था की सूचना–

संचालक मण्डल निगम द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना से अवगत हुआ। सूचना ग्रहण की गई।

एजेण्डा क्रमांक 39/05

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय –

01– राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर ने अपने पत्र क्रमांक. /अमनि/अपराध/09/2015/ मई,2015 द्वारा निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व अपराध क्रमांक/09/15 धारा 13 (2) सहपठित धारा 13(1) (डी), 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 के अन्तर्गत प्रकरण तैयार कर धारा 409,420,109,120 बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही एवं अभियोजन स्वीकृति की अनुमति मांगी है। ब्यूरो ने यह भी उल्लेख किया है कि अभियोजन स्वीकृति हेतु संचालक मण्डल सक्षम है। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विस्तृत विवरण, मौखिक साक्ष्य की प्रतिलिपि, वाईस ट्रांसमिशन की प्रतिलिपि एवं क्वालिटी कंट्रोल रिर्पोट की प्रतिलिपि, अपराध विवरण के साथ प्रस्तुत की गई है। अभियोजन स्वीकृति संबंधी राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है–

संचालक मण्डल ने राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन उसके साथ संलग्नक मौखिक साक्ष्य, वाईस ट्रांसक्रिप्शन साक्ष्य तथा अन्य दस्तावेजों को संज्ञान में लेते हुए विचारण किया। समयाभाव के कारण इस पर विचारण पूरी नहीं हो पाई, अतः संचालक मंडल की बैठक दिनांक 28/05/2015 को स्थगित करते हुए दिनांक 30/05/2015 को सायं 4.00 बजे छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, हितवाद प्रेस, अवंति विहार, मुख्यालय रायपुर में बैठक पुनः रखने का निर्णय लिया गया।

संचालक मंडल की बैठक दिनांक 30/05/2015 का कार्यवाही विवरण।

दिनांक 28/05/2015 की बैठक के अनुक्रम में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से दिनांक 30/05/2015 को सायं 4.00 बजे बैठक पुनः आयोजित किया गया। बैठक में में संचालक मण्डल के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे।

1) **श्री अजय सिंह, अपर मुख्य सचिव,** छ.ग. शासन खाद्य विभाग सह **अध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर ।
2) **श्री अमित अग्रवाल, सचिव,** वित्त विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय नया रायपुर।
3) **श्री पी0सी0 पाण्डेय, सचिव,** कृषि एवं सहकारिता विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय नया रायपुर।
3) **श्री ब्रजेश चंद्र मिश्र, प्रबंध संचालक,** छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय– रायपुर ।

(2) अध्यक्ष महोदय के अनुमति से प्रस्तुत एजेण्डा कमांक 39.5 के विषय में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रकरण पर संचालक मण्डल ने पुनः चर्चा की। **ब्यूरो ने अभियोजन स्वीकृति हेतु कुल 17 व्यक्तियों की सूची भेजी है, जिसमें कमांक–01 एवं कमांक–02 निगम के अधीन नहीं है। कमांक 16 भी इस निगम के कर्मचारी नहीं है। शेष 14 में से 12 निगम के वर्तमान अधिकारी/कर्मचारी है तथा 02 संविदा में नियुक्त थे जिन्हें दिनांक 18/02/2015 पद से पृथक किया जा चुका है।** आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अपने पत्र कमांक/ अमनि/ अपराध/ 09/2015, दिनांक निरंक जो अपर मुख्य सचिव, खाद्य के कार्यालय को दिनांक 18/05/2015 को प्राप्त हुआ। अपर मुख्य सचिव, खाद्य के पत्र कमांक/94/निस/ अमुस/ खाद्य/2015, रायपुर दिनांक 21मई,2015 द्वारा प्रबंध संचालक को प्रेषित ब्यूरो के इस पत्र के साथ संलग्नक (1) ब्यूरो प्रतिवेदन (एसपी एसीबी, रायपुर) (2) दस्तावेजी साक्ष्य सूची (डी–01 से डी 420) की सत्यापित प्रति, (3) मौखिक साक्ष्य सूची (एस–01 से एस 101) की सत्यापित प्रति (4) ट्रांसक्रिप्शन साक्ष्य सूची (टी–01 से टी–122) की सत्यापित प्रति एवं अभियोजन स्वीकृति के प्रारूप को विचारण में लिया गया।

(3) ब्यूरो के प्रतिवेदन अनुसार शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत गरीब हितग्राहियों के लिए खाद्यान्न संग्रहण एवं वितरण जैसे महत्वपूर्ण जनहित कार्य में आरोपी लोकसेवकों द्वारा अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुए सुनियोजित एवं संगठित रूप से आपराधिक षडयंत्र कर भ्रष्टाचार के अवैध साधनों से अपने लिए एवं अन्य के लिए भारी धन संबंधी लाभ प्राप्त किया गया है, तथा शासन द्वारा आबंटित राशि का बेईमानी पूर्वक उपयोग कर आपराधिक न्यास भंग करते हुए कुल 5,18,65,255.00 (पांच करोड़ अठारह लाख पैसठ हजार दो सौ पचपन) की आर्थिक क्षति कारित कर छल किया गया एवं उपरोक्त प्रकरण में जब्त नगद राशि 3,08,26,965.00 (तीन करोड़ आठ लाख छब्बीस हजार नौ सौ पैसठ) व विवेचना में संकलित दस्तावेजी साक्ष्यों, परिस्थितिजन्य तथ्यों एवं मौखिक साक्ष्यों से धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) डी, 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 109, 120 बी, 409, 420 भादवि0 का अपराध घटित करना पाया गया है।

(4) संचालक मण्डल के उपस्थित सदस्यों द्वारा विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व वर्णित आरोपों का भी अवलोकन किया गया। ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्य सूची को भी विचारण में लिया गया। गहन विचारोपरांत संचालक मंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन और दस्तावेजों के आधार पर अभियोजन की स्वीकृति देने के लिए पर्याप्त आधार है तथा संचालक मण्डल इस हेतु निर्णय लेने सक्षम है। चूंकि दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 197

शासकीय सेवकों के संबंध में लागू होता है और निगम के अधिकारी/कर्मचारी शासकीय सेवक नहीं है, अतः इस धारा के अधीन अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अतः ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरांत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत इस निगम के निम्नानुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्व अभियोजन स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रमांक	नाम	पदनाम
01	श्री शिवशंकर भटट	प्रबंधक, मुख्यालय रायपुर
02	श्री संदीप कुमार अग्रवाल	कंपनी सचिव, मुख्यालय रायपुर
03	श्री सुधीर कुमार भोले	सहायक लेखाधिकारी, जिला कार्यालय, रायपुर
04	श्री टीकमदास हरचंदानी	जिला प्रबंधक, धमतरी
05	श्री कौशलकिशोर यदु	जिला प्रबंधक, बिलासपुर
06	श्री रविन्द्र नाथ सिंह	प्रभारी जिला प्रबंधक, सूरजपुर
07	श्री अशोक सोनी	प्रभारी जिला प्रबंधक, कांकेर
08	श्री मोतीलाल साहू	प्रभारी जिला प्रबंधक, गरियाबंद
09	श्री जे.पी. द्विवेदी	प्रभारी जिला प्रबंधक, बलौदाबाजार
10	श्री सतीश कैर्वत्य	कनिष्ठ तकनिकी सहायक, जगदलपुर
11	श्री क्षीरसागर पटेल	कनिष्ठ तकनिकी सहायक, रायगढ़
12	श्री धनेश्वर राम	जिला प्रबन्धक, कबीरधाम

ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत 17 व्यक्तियों की सूची में क्रमांक (1) एवं (2) निगम के अधीन नहीं है तथा क्रमांक (16) इस निगम के कर्मचारी नहीं है। अतः इन तीन प्रकरणों में स्वीकृति देने हेतु यह निगम सक्षम नहीं है। श्री डी.एस. कुशवाह एवं श्री आर.पी. पाठक संविदा सहायक प्रबंधक थे, जिन्हे पद से हटा दिया गया है, अतः इनके प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

संचालक मण्डल के इस निर्णय के परिपेक्ष्य में ब्यूरो को संसूचित करते हुए अभियोजन स्वीकृति आदेश जारी करने के लिए श्री ब्रजेश चंद्र मिश्र, प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड को अधिकृत किया जाता है।

02– अपराध क्रमांक 52/2006 धारा 7 13(1) डी 13(2) पीसी एक्ट 1988 विरूद्व श्री एस.एस. भटट, प्रबंधक विरूद्व एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा अभियोजन स्वीकृति की मांग पर संचालक मंडल की 36 वीं बैठक दिनांक 15/05/2014 में हुए निर्णय और उसके परिपेक्ष्य में अध्यक्ष महोदय के अनुमति से जारी स्वीकृति आदेश का अनुमोदन–

प्रकरण की जानकारी से संचालक मण्डल अवगत हुआ तथा सर्व–सम्मति से स्वीकृत आदेश दिनांक 26/02/2015 को अनुमोदित किया गया।

(ब्रजेश चन्द्र मिश्र)
प्रबन्ध संचालक
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,
मुख्यालय रायपुर

(अजय सिंह)
अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0.
मुख्यालय रायपुर

Manager
C.G. State Civil Supplies Corpo. Ltd.
H.O. Raipur